



उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10
संख्या-91/2026/1555/2026-27-10001(099)/5/2022-10
लखनऊ: दिनांक: 19 अगस्त, 2026

शुद्धि-पत्र

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-88/2026/1272/2026-27-10001(099)/5/2022-10, दिनांक 19.08.2026 के प्रस्तर-1 की तालिका के क्रमांक-2 पर अंकित "श्री राजेश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता (यां0)" के स्थान पर "श्री राजेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता (यां0)" पढ़ा जाए एवं शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-89/2026/1472/2026-27-10001(099)/5/2022-10, दिनांक 19.08.2026 के प्रस्तर-1 की तालिका के क्रमांक-2 पर अंकित श्री संतलाल प्रसाद की "जन्मतिथि 06.05.1995" के स्थान पर "जन्मतिथि 06.05.1975" तथा क्रमांक-22 पर अंकित "श्री जगदीश कुमार भारती" के स्थान पर "श्री जगदीश कुमार" पढ़ा जाए।

2- उपर्युक्त शासनादेश को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष व्यवस्थायें यथावत रहेंगी।

इन्द्रजीत सिंह
उप सचिव

संख्या-91/2026/1555(1)/2026-27-10001(099)/5/2022-10, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3) वित्त नियन्त्रक, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4) निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- (5) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (ई-9), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (6) सम्बन्धित अधिकारी, द्वारा-प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से।
- (7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
उप सचिव